न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

27.08.2025 प्रस्तुत मामले में आवेदक अभियुक्त ब्रज गोपाल के तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 21.08.2025 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

उपरोक्त आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत मामले में उनके तरफ से पूर्व कोई अन्य उन्मोचन आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है और अभियोजन पक्ष (मृतक जो स्वयं एक आदतन अपराधी और आदतन वादी था) के द्वारा बदले की भावना से इस मामले में फंसाया गया है। उक्त घटना में एक भी साक्षी ने आवेदक का नाम उजागर नहीं किया है तथा उसके कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुआ है, केवल स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसका नाम इस मामले में शामिल किया गया है। अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य की पुष्टि के लिए कोई पहचान परेड नहीं कराया है। इस घटना में प्रयुक्त कार किसी भी अभियुक्त का नहीं है और न ही उस वाहन के मालिक के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है। टोल का सीसीटीवी भी यह साबित करने में विफल रहा है कि उक्त कार कब बिहार में प्रवेश किया। घटना का कोई स्वतंत्र या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अतः निवेदन है कि आवेदक के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन को स्वीकृत करते हुए उसके विरूद्ध लगाए गए सभी कथित आरोपों से मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है, अनुसंधान के क्रम में आवेदक का नाम आया है तथा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त समग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

द0प्र0स0 की धारा 227 में उल्लिखित प्रावधानों के अवलोकनोपरांत यह न्यायालय पाती है कि अभिलेख के इस प्रक्रम पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के सामग्री की उपलब्धता को नहीं देखना है अपितु न्यायालय को सिर्फ यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध के संबंध में आगे की कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया मामला उत्पन्न होता है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि घटना की तिथि एवं समय को इस कांड के मृतक जो पटना में रहकर ज्वेलर्स का व्यापार कराता था, वह घटना की रात्रि में अपने दुकान से अपने किराये वाले मकान में

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

लगातार
27.08.2025

खाना खाने जा रहा था कि दो अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोली की आवास पर आस–पास के लोग आये और जख्मी अवधेश अग्रवाल को पारस अस्पताल ले गये जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि घटना कारित करने वाले अपराधी उत्तर प्रदेश मथुरा से चार पहिया वाहन से आये तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन जिसका पंजीकरण संख्या BR01PB-6632 को जब्त किया गया एवं उसके चालक जितेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना को कारित करने वाले अन्य अप्राथकिी अभियुक्तों का नाम पता बताया गया है, जिसमें आवेदक अभियुक्त का भी नाम है। चालक जितेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया है कि उसके चाचा आवेदक ब्रज गोपाल के माध्यम से हत्या करने के लिए दो शुटर नीरज गौतम एवं ब्रज भूषण पंडित को तैयार किया गया। शुटर के द्वारा 20 लाख रुपए की सुपारी की मांग की गई, जिसे दस हत्या के मुख्य साजिशकर्ता निखिल कुमार गोयल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तदुपरांत चालक जितेन्द्र सिंह दोनों शुटरों को उक्त कार से पटना लाया और यहां घटना का अंजाम दिया गया, जो कांड दैनिकी की कंडिका 16, 20, 36, 41, 43, 47, 58, 63, 67, 72, 115, 127, 131, 136, 140, 141 से स्पष्ट होता हैं। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध घटना सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5), 61(2) तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा उन्हीं धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए इस मामले का दौरा सुपूर्द करने के उपरांत यह वाद इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

अतः अभिलेख के अवलोकन से एवं उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं अभिलेख पर उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5), 61(2) तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतएव, उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 21.08.2025 में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उसे **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक 10.09.2025 को वास्ते आरोप गठन हेतु सभी अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित एवं संशोधित

(संगम सिंह)
अपर सत्र न्या0–प्रथम